

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल-462004

//आदेश//

क्रमांक 424/91/रासेयो/2021/38,

भोपाल, दिनांक 01 / 09 /2021

प्रति,

1. अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, (म.प्र.)
2. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, (म.प्र.)

विषय:- विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98 वी बैठक दिनांक 21.2.2021 अन्तर्गत खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में वृद्धि विषयक।

सन्दर्भ:- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(पी.) उच्च शिक्षा विभाग समन्वय प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 352-353 दिनांक 26.3.2021. एवं विभागीय पत्र क्रमांक 434-435 दिनांक 30.8.2011.

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रानुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98 वीं बैठक दिनांक 21.2.2021 में लिये गये निर्णयानुसार खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते एवं अन्य भत्तों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

"स्थानीय स्तर पर दैनिक भत्ता 300/- रुपये, राज्य के अन्दर अन्य स्थान पर रुपये 500/- तथा मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में आयोजित होने वाली स्पर्धाओं में दैनिक भत्ता रुपये 600/- देय होगा।"

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 01 / 09 /2021

पृ.क्र. 423 / 91 /रासेयो/21 /38

प्रतिलिपि:-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा म.प्र.।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल।
5. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.।
6. संचालक, शारीरिक शिक्षा समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.।
7. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(पी.) उच्च शिक्षा विभाग समन्वय प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
9. आई.टी सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग